सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—20—2019 / रीडर / 2019 / 191   दिनाँक 26/2/19

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. कमलादेवी पत्नी स्वर्गीय हनुमानप्रसाद, जाति—ब्राह्मण, निवासी—बरड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान—सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. जगदीशप्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर, 3. रामपाल पुत्र मूलाराम, समस्त,जाति—ब्राह्मण, निवासी—बरड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. नायब तहसीलदार, मौलासर, तहसील—डीडवानरा, जिला—नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **20/2019** दायर दिनाँक **15.01.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. कमलादेवी पत्नी स्वर्गीय हनुमानप्रसाद, जाति–ब्राह्मण, निवासी–बरड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. जगदीशप्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर, 3. रामपाल पुत्र मूलाराम, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–बरड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. नायब तहसीलदार, मौलासर, तहसील–डीडवानरा, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी।

दिनाँक **22.02.2019**

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 171 रकबा 01.12 बीघा व खसरा नम्बर 173 रकबा 0.13 बीघा व खसरा नम्बर 223 रकबा 05.00 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के नाम दर्ज है। नकल खतौनी पेश है।

प्रतिवादी संख्या 02 ने जरिये इकरारनामा दिनाँक 05.09. 2009 को रामेश्वरलाल पुत्र ताजूराम निवासी बरड़वा ने वादी के पति हणमानप्रसाद को खसरा नम्बर 223 रकबा 05.00 बीघा भूमि का बैचाण कर दिया था। उक्त रामेश्वरलाल के देहान्त के बाद खसरा नम्बर 223 की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी जरिये फौतगी नामान्तरकरण के प्रतिवादी संख्या 02 जगदीशप्रसाद व उसकी माता व भाई व बहिनों के नाम से दर्ज हो गया जिसमें से जगदीशप्रसाद को छोड़कर उसकी माता व उसके भाई व बहिनों ने अपने हिस्से की भूमि जरिये रजिस्ट्री विक्रय के वादी को कर दी थी।

प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 223 में 6/12 सम्भावित हिस्सा रकबा 0.08 बीघा भूमि का बैचाण नहीं किया जिसकी खातेदारी वादी अपने हस्तगत वाद के जरिये चाहती है तथा इसी खसरा नम्बर के 1/2 भाग की भूमि करीब 02.10 बीघा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 03 के नाम राजस्व रिर्कार्ड में सहवन से दर्ज हो गयी है की खातेदारी वादी ने अपने नाम से घोषित करवाने की इस्तदुआ चाही है। जिस हेतु वाद पेश है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 223 रकबा 05.00 बीघा भूमि में से रकबा 02.18 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के हक में घोषित की जावे जो प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की क्रमशः रकबा 0.08 बीघा भूमि व 02.10 बीघा भूमि है। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का नाम हटाया जावे व स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम बरड़वा सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 186/212 खसरा नम्बर 171, 173, 223 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–01, कानूनी नोटिस प्रदर्श–02, इकररनामा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 62/2019
दायर दिनाँक 15.01.2019, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
कमलादेवी बनाम् राजस्थान–सरकार, वगैरा

प्रदर्श–03, रजिस्टर्ड रसीद प्रदर्श–04, 05, रजिस्टर्ड ए.डी. प्रदर्श–06, 07, पेश है।

दस्तावेजी साक्ष्य वादी में, वादी कमलादेवी स्वयं का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी.डब्ल्यू–01, हरिसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी बरड़वा का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी.डब्ल्यू–02, नरपतसिंह पुत्र बेरीशालसिंह जाति राजपूत निवासी बरड़वा का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. पी.डब्ल्यू–03, पेश हुए।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि, वादग्रस्त भूमि रकबा 05.00 बीघा के 1/2 भाग का बैचाण प्रतिवादी संख्या 02 के पिता रामेश्वरलाल ने जरिये इकरारनामा दिनाँक 05.09.2009 को वादी के पति स्वर्गीय हनुमानप्रसाद पुत्र दगड़ाराम के पक्ष में कर दिया था जिसमें से उक्त भूमि का बैचाण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय के रामेश्वरलाल की पत्नी व पुत्र व पुत्रियों ने एकपुत्र प्रतिवादी संख्या 02 ने अपना हिस्सा 6/12 का बैचाण वादी के पक्ष में नहीं किया था उसी की खातेदारी वादी अपने पक्ष में करवाना चाहती है व शेष 1/2 भूमि जो प्रतिवादी संख्या 03 के नाम से सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, को हटाया जावे। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है तथा मौके पर वादी का ही निर्विवाद रूप से शुरू से लेकर आज दिन तक चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में किसी पक्षकार की कोई आपत्ति–एतराज पेश नहीं है। सरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 223 रकबा 05.00 बीघा भूमि में से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 62 / 2019
दायर दिनाँक 15.01.2019, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
कमलादेवी बनाम् राजस्थान–सरकार, वगैरा

रकबा 02.18 बीघा भूमि की खातेदारी वादी अपने पक्ष में घोषित करवाना चाहती है व प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का नाम हटवाया जाना चाहती है तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित करवाना चाहती है। हस्तगत वाद में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने तथा बहस वकील वादी पर मनन् करने से लगता है कि, हस्तगवाद को वादी पुष्ट करने में सफल रही है।

लिहाजा, सरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 223 रकबा 05.00 बीघा भूमि में से रकबा 02.18 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के पक्ष में घोषित की जाना व प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का नाम उक्त रिकॉर्ड में से हटाया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः बाद विवेचन वाद वादी डिक्री निम्न आदेशानुसार सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 223 रकबा 05.00 बीघा भूमि में से रकबा 02.18 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का नाम उक्त रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे, वादी के कब्जासुदा भूमि में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

प्रतिवादी संख्या 02 जगदीशप्रसाद के हिस्से की भूमि रकबा 0.08 बीघा जरिये इकरारनामा के अनुसार वादी के नाम खातेदारी की गयी है जिसमें तहसीलदार डीडवाना नियमानुसार पंजीयन शुल्क जमा की कार्यवाही के बाद ही नामान्तरकरण वादी के नाम से दर्ज किया जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **22.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

दायर दिनाँक **15.01.2019**

राजस्व वाद संख्याः **20/2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. कमलादेवी पत्नी स्वर्गीय हनुमानप्रसाद, जाति—ब्राह्मण, निवासी—बरड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. राजस्थान—सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. जगदीशप्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर, 3. रामपाल पुत्र मूलाराम, समस्त,जाति—ब्राह्मण, निवासी—बरड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. नायब तहसीलदार, मौलासर, तहसील—डीडवानरा, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **22.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 223 रकबा 05.00 बीघा भूमि में से रकबा 02.18 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का नाम उक्त रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे, वादी के कब्जासुदा भूमि में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

प्रतिवादी संख्या 02 जगदीशप्रसाद के हिस्से की भूमि रकबा 0.08 बीघा जरिये इकरारनामा के अनुसार वादी के नाम खातेदारी की गयी है जिसमें तहसीलदार डीडवाना नियमानुसार पंजीयन शुल्क जमा की कार्यवाही के बाद ही नामान्तरकरण वादी के नाम से दर्ज किया जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत............ ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner